राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का नाम
1.	1309/2023	बबीता यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बहरोड़, अलवर। 5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड़, अलवर। 6. चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहराना, ब्लॉक बहरोड़, जिला अलवर। 7. सुजाता ए.एन.एम उप केन्द्र महाराजावास, बहरोड़।	श्री सुधीर यादव, अधिक्ता अपीलार्थी श्री रचित शर्मा, अधिवक्ता निजी प्रत्यर्थी
2.	1872/2024	सुजाता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर। 3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली, बहरोड़। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपूतली, बहरोड़, अलवर। 6. बबीता यादव, एएनएम, उपकेन्द्र महाराजावास, बहरोड़, अलवर।	श्री रचित शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी श्री सुधीर यादव अधिवक्ता निजी प्रत्यर्थी

आदेश की दिनांक : 13.08.2024

समक्षः— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई। अपीलवार स्थिति निम्नानुसार हैः—

अपील संख्या 1309/2023 बबीता यादव

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी श्रीमती बबीता यादव ने उक्त अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामगंगा मालाखेडा जिला अलवर

से उप केन्द्र महाराजावास बहरोड जिला अलवर में श्रीमती सुजाता के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था तथा श्रीमती सुजाता का अपीलार्थी के पूर्व स्थान श्यामगंगा जिला अलवर में किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.01.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी स्वीकृत रिक्त पद पर कार्यग्रहण किया था, परन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर ने आदेश दिनांक 02.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन रिक्त पद से आहरण करने के आदेश किये गये। जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 08.05.2023 को स्थगन आदेश जारी करते हुए अपीलार्थी का वेतन कार्यरत स्थान से ही आहरित करने के आदेश पारित किए है। जिसकी पालना में अपीलार्थी का वेतन आहरित किया जा रहा है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी का वेतन उपकेन्द्र महाराजावास खण्ड बहरोड़ से भुगतान हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित कर आलौच्य आदेश दिनांक 02.02.2023 को अपास्त किया जावे। प्रकरण में सुजाता ने 01 R10 का आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया, जिसे स्वीकार कर अपील में पक्षकार बनाया गया।

<u>अपील संख्या 1872/2024 श्रीमती सुजाता</u>

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का माह जून, 2023 से आगामी आदेशों तक का वेतन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटेडा पर फार्मासिस्ट के रिक्त पदविरूद्ध आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अपीलार्थी दिनांक 18.12.1998 से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रही है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, श्यामगंगा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर से उपकेंद्र, महाराजावास, बहरोड़, अलवर, राजस्थान में कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 418 पर एवं निजी प्रत्यर्थी–6 का नाम क्रमांक 417 पर दिखाया गया। अपीलार्थी का नियंत्रण प्राधिकारी पंचायती राज विभाग है, लेकिन दिनांक 31.12.2020 का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 11.06.2018 के अनुसार पूर्व सहमति/एनओसी के साथ जारी नहीं किया गया था। राजस्थान पंचायतीराज (स्थानांतरण गतिविधियां) नियम, 2011 और माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पहले ही इसी प्रकार की रिट याचिकाओं का फैसला करते हुए ऐसे स्थानांतरण आदेशों पर रोक लगा दी है, जो बिना सहमति के जारी किए गए हैं। उक्त स्थानांतरण आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 244/2021 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्थगन प्रदान किया गया। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी विभाग दोनों को सुनने के बाद मामले का अंतिम निर्णय 11.12.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.12.2020 को अपास्त कर दिया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 को

आदेश दिनांक 02.02.2023 द्वारा एएनएम, महाराजावास, बहरोड़, अलवर के स्वीकृत पद से मासिक वेतन नहीं दे रहे थे। उक्त आदेश के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1309/2023 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.05.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा दिनांक 02.02.2023 के आदेश पर रोक लगा दी गई और बबीता का वेतन वर्तमान में जिस स्थान पर कार्यरत है उसी स्थान से अपीलार्थी का वेतन आहरित किए जाने के आदेश दिए गए।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.09.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पद उपकेंद्र महाराजवास, बहरोड़, जिला अलवर के एएनएम से वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी जावे।

निजी प्रत्यर्थी बबीता यादव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने उपर्युक्त अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित दिनांक 02.02.2023 के आक्षेपित आदेश की प्रार्थना के साथ दायर की, जिसके द्वारा वे अपीलार्थी को उसके स्वीकृत पद उप केंद्र, महाराजावास, ब्लॉक बहरोड़, जिला अलवर (राजस्थान) से भुगतान नहीं दे रहे हैं। अपीलार्थी ने किसी भी आदेश को चुनौती नहीं दी जिसमें सुजाता नाम का उल्लेख किया गया था। अपीलार्थी ने भी सुजाता के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी। अपीलार्थी की शिकायत चिकित्सा विभाग की गैरकानूनी कार्रवाई के खिलाफ है जिसके द्वारा उन्होंने बिना किसी आदेश के अपीलार्थी को एएनएम पद से वेतन जारी कर दिया। इसलिए, सुजाता को वर्तमान अपील में पार्टी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। सुजाता ने निराधार आधार पर गलत तरीके से उपर्युक्त आवेदन दायर किया क्योंकि उसने किसी भी आदेश का उल्लेख या प्रस्तुत नहीं किया। वह यह साबित करने में सक्षम नहीं थी कि वर्तमान मामले में वह कैसे आवश्यक पक्ष है क्योंकि उसने अपने आवेदन में कोई अच्छा कारण नहीं बताया है। उसने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कोई अभ्यावेदन भी नहीं दिया। क्योंकि सुजाता ने भी आदेश दिनांक 05.09.2023 के विरुद्ध मई 2024 में एक अलग अपील संख्या 1872/2024 दायर की थी, जिसमें उन्होंने आवेदन आदेश नियम 10 को अनुलग्नक–6 के रूप में संलग्न किया था, लेकिन उन्होंने यह आवेदन अपील संख्या 1309/2023 जुलाई 2024 के महीने में दायर किया। उन्होंने इस तथ्य को छुपाया कि जो दस्तावेज अपील संख्या 1309/2023 में दायर नहीं किया गया है, लेकिन वह अपील संख्या 1872/2024 में संलग्न है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों अपीलों पर विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपीलों में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी बबीता यादव एवं श्रीमती सुजाता दोनों ही उप स्वास्थ्य केन्द्र महाराजावास बहरोड अलवर में कार्यरत है।

अपीलार्थी बबीता यादव का आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक–2) के द्वारा स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामगंगा मालाखेडा जिला अलवर से उप केन्द्र महाराजावास बहरोड जिला अलवर में श्रीमती सुजाता के स्थान पर तथा श्रीमती सुजाता का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामगंगा मालाखेडा जिला अलवर बबीता यादव के स्थान पर किया गया था। जिसकी पालना में बबीता यादव ने दिनांक 04.01.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था और उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुजाता ने माननीय अधिकरण के समक्ष 244/2021 अपील दायर की गई, जिसकी पालना में अधिकरण द्वारा श्रीमती सुजाता को उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अधिकरण के आदेश दिनांक 11.12.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा उभय पक्षकारों की सहमति एवं लोक अदालत की भावना के अनुरूप अपील स्वीकार कर यह आदेश दिया गया कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के संबंध में नवीन स्थानान्तरण आदेश पारित करता है, तो यह आदेश उसमें बाधक नहीं होगा एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी करने तक अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी यथा स्थान कार्य करते रहेंगे। इसलिए दोनों एक ही स्थान पर कार्यरत होने के कारण दोंनों ने ही कार्यरत स्थान से वेतन आहरित करने का अनुतोष चाहा है। नियमानुसार कार्यरत स्थान पर एक पद स्वीकृत होने के कारण एक ही कार्मिक का वेतन आहरित किया जा सकता है। इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी बबीता यादव का कार्यरत स्थान से अपील संख्या 1309/2023 में वेतन आहरित करने के आदेश जारी किये हुए हैं। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने सुजाता के वेतन भुगतान अन्य स्थान से करने का आदेश दिनांक 05.09.2023 पारित किया है। वर्तमान में दोंनो ही कार्मिक एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसलिए एक ही कार्मिक का वेतन आहरित किया जा सकता है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग का विवेकाधिकार एक स्वीकृत पद के विरूद्ध है कि किस कार्मिक का किस स्थान से वेतन आहरित करें। इसलिए अपील संख्या 1309/2023 में पारित आदेश के दृष्टिगत अपील संख्या 1309/2023 स्वीकार की जाती है एवं अपील संख्या 1872/2024 इस आधार पर अस्वीकार की जाती है कि आलौच्य आदेश अधिकरण के अपील संख्या 1309/2023 में पारित आदेश का परिणाम है। उक्त दोनों अपीले उक्तानुसार निर्णित की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को दोनों अपीलों के अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण नये सिरे से करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें अधिकरण का उक्त आदेश बाधक नहीं होगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)